प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 10 मार्च, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में मूल्य ह्रास आरक्षित निधि नियमावली-2005 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट व्यवस्था से 35 मशीनों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उर्पयुक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता, प्रभारी (वि0/यां0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-39ए0पी0/33ए0पी0/04/2016-17, दिनांक 06.01.2022 एवं पत्र संख्या-119ए0पी0/33ए0पी0/04/2016-17, दिनांक 31.01.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल लोक निर्माण विभाग के उपयोगार्थ निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित 35 नई मशीनों के क्रय हेतु स्तम्भ-5 के अनुसार रू0 8,92,01,630/- (रूपया आठ करोड़ बानबे लाख एक हजार छः सौ तीस मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त धनराशि रू0 8,92,01,630/- (रूपया आठ करोड़ बानबे लाख एक हजार छः सौ तीस मात्र) व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं	क्रय हेतु मशीनों का विवरण	मशीनों की सं0	दर	धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4	5
1	टिपर 10.5 Cum	25	25,74,750.00	6,43,68,750.00
2	10केवीए डीजी सेट (1 Phase)	01	2,90,130.00	2,90,130.00
3	ट्रैक्टर (30-35 hp½	03	4,48,750.00	13,46,250.00
4	125केवीए डीजी सेट (3 Phase)	01	9,19,000.00	9,19,000.00
5	बैकहू लोडर	01	27,80,000.00	27,80,000.00
6	हाट मिक्स प्लांट (40-60 tph)	01	89,97,500.00	89,97,500.00
7	वाइब्रेटरी रोड रोलर (8mt)	03	35,00,000.00	1,05,00,000.00
	कुल मशीनों की संख्या	**35**	**कुल योग**	**8,92,01,630.00**

2- प्रश्नगत मशीनों का क्रय निम्नलिखित शर्तो के अधीन किया जायेगा:-

(1) मशीनों का क्रय सुसंगत वित्तीय एवं वर्तमान नियमों, शासन के स्थायी शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

क्रमशः...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उक्त धनराशि केवल प्रश्नगत मशीनों के क्रय पर ही व्यय की जायगी।

(3) समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत मितव्ययिता के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में मूल्य ह्रास आरक्षित निधि अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04--मूल्य ह्रास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय-00-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के अन्तर्गत की गयी आय-व्ययक व्यवस्था से वहन किया जायेगा तथा उक्त मदों के नामे" डाला जायेगा।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

<u>संख्या उपरोक्त तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन ।
4- मुख्य अभियन्ता (वि0/यां0)/वित्त नियंत्रक, लो0नि0वि0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
7- नियोजन अनुभाग-4 ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
9- लोक निर्माण अनुभाग-10 ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in